

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम: **Hospital Bio-Medical Waste Treatment, Management and Disposal**

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक-2 के आधार पर): IMEP Training

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): A.9.4.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सुधार लाने एवं उनकी गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु लोक निजी साझेदारी के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों से उत्पन्न होने वाले जीव चिकित्सीय अपशिष्ट उपचार एवं निदान हेतु सेवा के लिए निजी संस्थानों को कार्यभार दी गयी है, जिससे स्वास्थ्य संस्थानों को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा तथा इससे स्वास्थ्य संस्थान स्वच्छ रहेगा एवं विभिन्न प्रकार की भयानक रोगों से भी बचाव होगा।

कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रमंडलवार कार्याशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्याशालावार राशि निम्न प्रकार है—

प्रमंडल का नाम	कार्यशाला की संख्या	आवंटित राशि
भागलपुर	1	68,200/-
दरभंगा	3	1,48,600/-
कोशी	2	85,200/-
मगध	4	2,04,000/-
मुंगेर	3	1,50,200/-
पटना	4	2,02,400/-
पुर्णिया	2	1,18,800/-
सारण	3	1,47,000/-
त्रिपुरा	5	2,33,800/-

ईकाई राशि :

BREAK UP- IMEP REFRESHER TRAINING

S. No.	RPMUs	No. of Participants	No. of Workshops / Training Proposed	Guest Faculty	Honorarium to Trainers	Lunch & Tea	Incidental Expenses	Venue Hiring	Total Budget
					Unit Cost (Rs/Person/Day)				
					1,000	400	2,000	5,000	
1	Bhagalpur	148	1	2	2,000	59,200	2,000	5,000	68,200
2	Darbhanga	304	3	2	6,000	1,21,600	6,000	15,000	1,48,600
3	Koshi	168	2	2	4,000	67,200	4,000	10,000	85,200
4	Magadh	420	4	2	8,000	1,68,000	8,000	20,000	2,04,000
5	Munger	308	3	2	6,000	1,23,200	6,000	15,000	1,50,200
6	Patna	416	4	2	8,000	1,66,400	8,000	20,000	2,02,400
7	Purnea	252	2	2	4,000	1,00,800	4,000	10,000	1,18,800
8	Saran	300	3	2	6,000	1,20,000	6,000	15,000	1,47,000
9	Tirhut	472	5	2	10,000	1,88,800	10,000	25,000	2,33,800
Total	9	2788	27		54,000	11,15,200	54,000	1,35,000	13,58,200

13/7/13

वित्तीय दिशा-निर्देश

- प्रमंडल स्तर पर जीव चिकित्सीय अपशिष्ट निदान से संबंधित आने वाले सभी जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों के ए०एन०एम०, सफाई कर्मचारी, क्लिनिक सहायक स्टाफ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अपशिष्ट निस्पादन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अपशिष्ट पदार्थों को पहचान कर, पृथक करना एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटारा करना है।
- प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक प्रमण्डल में कार्यशाला वार राशि आवंटित है, जो उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है। (MO-1 MO per PHC, SDH, RH and DH); (1-ANM per facility); (Clinical support staff -1), Safai Karamchari -1)
- प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण का स्थान एवं trainer के मानदेय तथा अल्पाहार की व्यवस्था की जानी है।

प्रशिक्षण का उद्देश्य-

- सभी स्वास्थ्य संस्थान में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक दिन का ओरीयटेशन प्रशिक्षण दिया जाय। जिससे यह सुनिश्चित हो जाये कि सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में सग्रह के पूर्व अपशिष्ट पदार्थों का उपयुक्त उपचार और अलग-अलग किया जा सके।
- वातावरण प्रदूषित नहीं हो इसके लिए जरूरी है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट का अन्य अपशिष्ट के साथ मिलावट नहीं हो।
- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का रंगों के आधार पर विच्छेद सुनिश्चित कराना।
- समय संग्रहीत जैव चिकित्सा अपशिष्ट को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से बाहर ले जाना।(24 घंटे के अन्दर)
- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उचित उपचार और निपटान (नियमानुसार अनुसूचि के परिभाषित-1 में जैसे परिभाषित है)
- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थों के निस्पादन से सम्बंधित जानकारी निर्धारित DHIS-2 पर प्रत्येक दिन अपलोड करना है।
- प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रों को जैव चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थों के निस्पादन हेतु बिहार राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से निबंधन कराना अनिवार्य है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र ० सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : राशि जयासवाल

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9470003016

13/7/13